

2024 / 57

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15 / 2024 (राजसमन्द डिक्री)

राधेश्याम सोनी पिता चांदमल जी सोनी, निवासी न्यू अहिंसापुरी-31,
पावाविहार, फतहपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. धन्नाराम पिता नारायणराज, जाति जाट, निवासी थालोडा की ढाणी,
तहसील मकराना, जिला नागौर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ दिनांक 21-07-2023 प्रकरण
संख्या 46 / 2020 वाद पत्र

-----::-----


उपस्थित :- 1- श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी
2- राजकीय परोकार रेस्पों. सं. 2

-----::-----

निर्णय

दिनांक 15-12-2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम कलालो की आती, तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 1 आराजी नम्बर 376/6 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है। वादी ने उक्त भूमि दिनांक 08.10.2018 खातेदार विष्णु शंकर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। पूर्व उक्त आराजी नम्बर 376/6 खातेदार को 17 वर्ष पहले आवंटित हो चुकी थी एवं खातेदारी अधिकार दिनांक 21.08.2018 को दी गई थी, किन्तु वादी के नाम नामान्तरण नहीं खुल पाया। उपरोक्त आदेश


भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तहसील देवगढ़ की पत्रावली संख्या 39/18 दिनांक 15.11.2018 सरकार बनाम विष्णु शंकर के विरुद्ध खातेदार विष्णु शंकर द्वारा अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 10.12.2019 को स्वीकार की जाकर तहसील देवगढ़ के निर्णय को अपास्त किया गया तथा निर्णय की पालनार्थ प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया। वर्तमान में संवत् 2076 को सेंटलमेंट किया गया एवं वादी की कृषि भूमि पूर्व के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 376/6 को विलोपित कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया। अतः वादी को आराजी नम्बर 376/6 रकबा 1 बीघा भूमि को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजी नम्बर 376/6 रकबा 1 बीघा का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2024 को प्रस्तुत की गई है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित हुये। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्त ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की दिनांक 07.03.2024 को विपक्षी संख्या 1 मौके पर आये एवं कब्जा लेने हेतु कहा तब उक्त निर्णय व डिक्री जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई। अतः देरी को क्षमा किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।
6. अपीलान्त ने धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी नम्बर 376 का खरीद के आधार पर मालिक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में उसके पक्षकार नही बनाये जाने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत



नहीं कर सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

7. हमने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा अपील के साथ संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2020 व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से अपीलान्त प्रथम दृष्टया प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्त को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. गुणावगुण कर बहस करते हुए अभिभाषक अपीलान्त ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना पक्षकार बनाये तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने केस को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बिना सिद्ध कराये रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना तथा बिना कब्जे के रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जिसकी आड़ में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपीलान्त की कब्जे शुदा भूमि की तरमीम अपने नाम कराने चाहता है, जो बिना अधिकार के है। साबिक आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा है तथा आंवटन उसी आराजी से सभी को किया गया है, परन्तु रेस्पोजेन्ट के नाम आंवटन शुदा रकबा कभी भी तरमीम नहीं हुआ है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

9. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा हमारे समक्ष संभागीय आयुक्त उदयपुर का निर्णय दिनांक 17.08.2020 प्रस्तुत किया गया है जिसमें संभागीय आयुक्त मोहदय ने आराजी नम्बर 994/376 के संबंध में निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलान्त राधेश्याम सोनी के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्त का कथन है कि आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा होकर उसमें से कई व्यक्तियों को आंवटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो डिक्री जारी की उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्त का है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। हमने अपीलान्त का धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें



प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर (राज.)

प्रभावित पक्षकार माना है, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित किया जाकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



(कीर्ति राठौड़)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर